न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर–खीरी।

आसीनः–सीमा सिंह .....उ0प्र0न्यायिक सेवा।

J0 CODF- U.P. 01669

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0 एल0पी0– 40176672019

दाण्डिक वाद संख्या–2600/19

राज्य ..... अभियोजनपक्ष।

प्रति

1– नजर मोहम्मद पुत्र श्री सलामतुल्ला निवासी मो0 सर्वोदयनगर थाना गोला जिला खीरी।

2– फैज मोहम्मद पुत्र इशहाक अली निवासी लाम्बानगर थाना गोला जिला खीरी। ———अभियुक्तगण।

मु0अ0सं0 28/2019
धारा 323,504,506 भा0दं0सं0
थाना–कोतवाली गोला
जिला खीरी।

–: निर्णय :–

कोतवाली गोला जिला खीरी की पुलिस द्वारा मु0अ0सं028/2019 अन्तर्गत धारा 323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्तगण नजर मोहम्मद व फैज मोहम्मद के विरूद्ध आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नवनीत शर्मा द्वारा दिनॉक 19–1–2019 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गोला खीरी को इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि आज सुबह समय लगभग 9.15 बजे किसी काम से लाम्बानगर गया था, बादल सिटी गेट के सामने किसी बात को लेकर नजर मोहम्मद पुत्र सलामतुल्ला निवासी मो0 लाम्बानगर ने मुझे गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए मारा पीटा। निवेदन है कि आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

वादी मुकदमा द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दिनॉक 19–1–2019 को अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा चोटहिल का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।

विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी। गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा–161दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किये गये तथा घटना

स्थल का नक्शा नजरी बनाया । विवेचना में अभियुक्तगण फैज मोहम्मद, नजर मोहम्मद के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये मु0अ0सं0 28/19 धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से सन्तुष्ट होने के उपरान्त दिनांक 06–11–2020 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने इनकार किया एवं विचारण की मॉग किया।

अभियोजनपक्ष ने अपने कथन को साबित करने के लिये पी0डब्लू0–1 नवनीत शर्मा, पी0डब्लू–2 श्रवण कुमार शर्मा को सशपथ न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को अन्तर्गत धारा–294 दण्ड प्रक्रिया स्वीकार करने के कारण अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त किये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में घटना को गलत बताते हुए गवाहों के बयान के संबंध में रंजिशन बयान देना, व सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया गया है।

प्रस्तुत मामले में विचारणीय बिन्दु यह है कि– क्या दिनांक 19–1–2019 को समय 9.15 बजे स्थान बादल सिटी गेट के सामने बहद मोहल्ला लाम्बानगर थाना गोला जिला खीरी में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा नवनीत शर्मा को मारपीटकर स्वेच्छया चोटे पहुॅचाई एवं अपमानित करने के आशय से भद्दी–भद्दी गालियॉ देते हुए जान से मारडालने की धमकी दिया?

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के द्वारा पत्रावली पर दाखिल अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोप अभियोजनपक्ष संदेह से परे पूर्णतया सिद्ध करने में सफल रहा है। अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनके तर्को का खण्डन करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में तथ्य के साक्षियो को प्रस्तुत किया गया है, उन्होने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियोजनपक्ष अपने साक्ष्य के माध्यम से अधिरोपित आरोप को सिद्ध करने में असफल रहा है। अभियोजन साक्ष्य से

अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप साबित नही होते है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर दाखिल अभियोजन साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

अभियोजनपक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में पी0डब्लू0–1 नवनीत शर्मा, वादी मुकदमा को परीक्षित किया गया है। पी0डब्लू–1 ने सशपथ बयान किया है कि घटना 19–1–2019 समय लगभग 9.15 बजे की है। बादल सिटी गेट के सामने अभियुक्तगण नजर मोहम्मद व फैज मोहम्मद ने मुझे गाली गुप्ता देते हुए लात, मुक्का, थप्पड़ से मारा पीटा नहीं था और न ही मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। पत्रावली में संलग्न तहरीर पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

अभियोजनपक्ष के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा उसकी प्रतिपृच्छा की अनुमति प्रदान की गयी। प्रतिपृच्छा में इस को पत्रावली में संलग्न तहरीर को पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैने तहरीर पर केवल अपना हस्ताक्षर बनाया था । तहरीर लिखने वाले ने उसमें क्या लिख दिया, मै नहीं जानता हूँ। गवाह को उसका बयान 161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो उसने इनकार किया और कहा कि मैने दरोगाजी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया अगर लिख लिया हो तो मै उसकी कोई वजह नहीं बता सकता। घटना के समय बहुत से लोग इकट्ठा हो गये थे, भीड़–भाड़ में धक्का मुक्की होने से मै गिर गया था जिसके कारण मुझे चोटे आयी थी, उन्हीं चोटों की डाक्टरी मैने सरकारी अस्पताल गोला में करवाया था। अभियुक्तगण नजर मोहम्मद व फैज मोहम्मद ने मुझे गाली गुप्ता नहीं दिया था और न ही मारा पीटा था,उन्होने मुझे जान से मारने की धमकी भी नहीं थी।

अभियोजनपक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में पी0डब्लू0–2 श्रवण कुमार शर्मा को परीक्षित किया गया है। पी0डब्लू–2 ने सशपथ बयान किया है कि मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है, मेरा नाम गवाह में कैसे लिख लिया मै नहीं बता सकता।

अभियोजनपक्ष के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा उसकी प्रतिपृच्छा की अनुमति प्रदान की गयी। प्रतिपृच्छा में इस साक्षी को बयान 161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैने दरोगाजी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। अगर दरोगाजी ने लिख लिया

हो तो मै इसकी वजह नहीं बता सकता। मैने अभियुक्त फैज मोहम्मद व नजर मोहम्मद को किसी को मारते पीटते नहीं देखा और न ही गाली गाली देते सुना और न ही धमकी देते सुना। अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप सावित नहीं होते हैं क्योंकि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 जोकि वादी मुकदमा है ने सशपथ बयान में कहा है कि घटना 19–1–2019 समय लगभग 9.15 बजे की है। बादल सिटी गेट के सामने अभियुक्तगण नजर मोहम्मद व फैज मोहम्मद ने मुझे गाली गुप्ता देते हुए लात, मुक्का, थप्पड़ से मारा पीटा नहीं था और न ही मुझे जान से मारने की धमकी दी थी।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–2 श्रवण कुमार शर्मा, ने अपने सशपथ बयान में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा बयान दिया है कि मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है, मेरा नाम गवाह में कैसे लिख लिया मै नहीं बता सकता। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–2 के बयान के आधार पर अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

यद्यपि बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता को स्वीकार करते हुये तथ्यों से इंकार किया है , फिर भी उसका कोई लाभ अभियोजन का प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 जोकि वादी मुकदमा है, ने अपने सशपथ बयान व जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है पक्षद्रोही घोषित हो गया है तथा अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–2 ने भी अपने सशपथ बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है पक्षद्रोही घोषित हो गया है। अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं किया गया है।

विरोधाभाषी कथनों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षीगण द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत विरोधाभाष मात्र के आधार पर उक्त साक्षीगण की साक्ष्य को असत्य व अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है जब तक कि उक्त विरोधाभाष घटना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्यों के बावत प्रस्तुत न किया गया हो, जैसे कि घटना का दिनॉक, समय , स्थान, मौजूदगी आदि।अतः यदि साक्षीगण की साक्ष्य में विरोधाभाष घटना के महत्वपूर्ण तथ्यों से सम्बन्धित नहीं है तो ऐसी दशा में उक्त साक्षीगण की साक्ष्य को सत्य व विश्वनीय मानते हुए अभियुक्तगण की दोषसिद्धि की जा सकती है।

चूँकि प्रस्तुत मामले में साक्षी पी0डब्लू–1 नवनीत शर्मा जो वादी मुकदमा है एवं घटना का पीड़ित भी है, के द्वारा अपनी साक्ष्य में घटना के समय उसे अभियुक्तगण द्वारा गाली देने व लात, मुक्का, थप्पड़ से मारने व जान से मारने की धमकी देने से इनकार किया है। साक्षी पी0डब्लू–1 प्रस्तुत मामले में घटना का अहम साक्षी व पीड़ित है तथा स्वयं उक्त साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में घटना के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से सम्बन्धित विरोधाभाषी कथन किया है एवं घटना से पूर्णतः इनकार किया है एवं साक्षी पी0डब्लू–2 जोकि घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है ने भी अपनी साक्ष्य में घटना की कोई जानकारी होने से इनकार किया है ।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अभियोजनपक्ष अपने साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण फैज मोहम्मद, नजर मोहम्मद को मु0अ0सं0 28/2019 अन्तर्गत धारा 323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके स्वबन्ध पत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त करते हुये प्रतिभूओं को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण में से प्रत्येक द्वारा धारा 437ए, दं0 प्र0 संहिता के अन्तर्गत एक–एक प्रतिभू एवं स्वबन्ध पत्र मु0 15,000–15,000/–रूपये का इस आशय का प्रस्तुत करे कि इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने की दशा में वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होगें।

दिनांक–10–11–2020

(सीमा सिंह),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर खीरी।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–10–11–2020

(सीमा सिंह),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर खीरी।